आरईसी लिमिटेड

धोखाधड़ी की रोक-थाम के लिए नीति

विषयसूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	पृष्ठभूमि	3
2.	नीति का दायरा	3
3.	नीति का उद्देश्य	3
4.	धोखाधड़ी की परिभाषा	4
5.	नोडल अधिकारी की परिभाषा	4
6.	धोखाधड़ी करने वालो पर कार्रवाई	4-5
7.	अन्य अनुचित आचरण	5
8.	उधार खातों के संबंध में धोखाधड़ी के ट्रिगर/संभावित धोखाधड़ी के संकेतक	5-6
9.	धोखाधड़ी की रोकथाम	6-7
10.	संदेह/धोखाधड़ी की सूचना देने पर उपचारात्मक कार्रवाई	7
11.	रिपोर्ट की प्रक्रिया	7-8
12.	धोखाधड़ी/संदिग्ध धोखाधड़ी की जांच	8-9
13.	प्रारंभिक और अंतिम जांच के लिए समय सीमा	9
14.	अनुशासनात्मक कार्रवाई	9
15.	लेखापरीक्षा समिति/निदेशक मंडल को रिपोर्ट करना	10
16.	धोखाधड़ी की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को देना	10-11
17.	एनबीएफसी द्वारा धोखाधड़ी की निगरानी पर आरबीआई द्वारा जारी मास्टर निर्देशों का अनुपालन	11
18.	नीति का प्रशासन	11

आरईसी में धोखाधड़ी की रोक-थाम के लिए नीति

1. पृष्ठभूमि

धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए कॉर्पोरेट नीति को नियंत्रण हेतु विकास की सुविधा के लिए स्थापित किया गया है जो आरईसी लिमिटेड के खिलाफ धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकथाम में सहायता करेगा। आरईसी लिमिटेड का उद्देश्य (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड) दिशानिर्देश और जिम्मेदारी प्रदान करके जांच के नियंत्रण और आचरण के विकास में संगठनात्मक व्यवहार को बढ़ावा देना है। पूर्ववर्ती के आलोक में और निगमित सुशासन सिद्धांतों का सक्रिय रूप से पालन करने में आरईसी लिमिटेड दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, यह उचित है कि धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए एक नीति बनाई जाए और कार्यान्वित की जाए।

2. नीति का दायरा

यह नीति कर्मचारियों (पूर्णकालिक, अंशकालिक, तदर्थ, अस्थायी, संविदा) के साथ-साथ शेयरधारकों, सलाहकारों, विक्रेताओं, उधारदाताओं, उधारकर्ताओं, संविदाकारों, आरईसी लिमिटेड के साथ कारोबार करने वाली एजेंसियों के बाहर के लोगों, ऐसी एजेंसियों के कर्मचारियों और/अथवा आरईसी लिमिटेड के साथ कारोबारी संबंध रखने वाली किसी अन्य पार्टी से संबंधित किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी पर लागू होती है।

3. नीति का उद्देश्य

"धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति" तैयार की गई है ताकि धोखाधड़ी का पता लगाया जा सके और उसकी रोकथाम की जा सके और धोखाधड़ी से संबंधित मामलों का पता लगाने या संदिग्ध होने पर उसकी रिपोर्टिंग और उचित व्यवहार के लिए एक प्रणाली तैयार की गई है। यह नीति निम्नलिखित को सुनिश्चित करेगी और प्रदान करेगीः-

3.1 यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रबंधन धोखाधड़ी का पता लगाने और उसकी रोकथाम के लिए और धोखाधड़ी को रोकने और/या धोखाधड़ी होने पर उसका पता लगाने के लिए प्रक्रियाओं की स्थापना के लिए अपनी जिम्मेदारियों से अवगत है।

3.2 आरईसी लिमिटेड के साथ कार्य करने वाले कर्मचारियों और अन्य लोगों को स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना। उन्हें धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल होने से रोकना और उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई जहां उन्हें धोखाधड़ी से संबंधित गतिविधि का संदेह है।

3.3 पकड़े जाने या संदिग्ध पाए जाने पर धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के लिए नोडल अधिकारी को समय सीमा और विवरण उपलब्ध कराना।

3.4 धोखाधड़ी की गतिविधियों की जांच करना।

3.5 यह आश्वासन प्रदान करना कि धोखाधड़ी की किसी भी संदिग्ध गतिविधि की पूरी तरह से जांच की जाएगी।

3.6 आरईसी के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

4. **धोखाधड़ी की परिभाषा**

"धोखाधड़ी" किसी व्यक्ति/कर्मचारी या उधारकर्ता, आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार, परामर्शदाता आदि जैसे किसी अन्य संगठन द्वारा या उसके कर्मचारियों द्वारा - चालाकी, दमन, धोखेबाजी या किसी अन्य धोखाधड़ी या किसी अन्य द्वारा जानबूझकर किया गया कार्य है जिससे स्वयं या किसी अन्य व्यक्तियों को अनुचित लाभ और अन्य को अनुचित नुकसान होता है। कई बार इस तरह के कार्य दूसरों को धोखा देने/गुमराह करने की दृष्टि से किए जाते हैं या उन्हें एक परोपकारी कार्य करने से रोकते हैं या जो परोपकारी निर्णय लिए जाते हैं वो वास्तविक तथ्यों पर आधारित नहीं होते है।

5. **नोडल अधिकारी की परिभाषा**

5.1 संबंधित प्रभाग/अनुभाग के महाप्रबंधक स्तर के सभी अधिकारियों और विभिन्न राज्य कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों को संबंधित प्रभाग/अनुभाग/कार्यालय से संबंधित धोखाधड़ी/संदिग्ध धोखाधड़ी की जांच और रिपोर्टिंग के उद्देश्य से "जांच के लिए नोडल अधिकारी" के रूप में नामित किया जाएगा।

5.2 यदि संबंधित प्रभाग/अनुभाग या जेडएम/सीपीएम के जीएम द्वारा संदिग्ध धोखाधड़ी को जारी रखा जाता है तो "जांच के लिए नोडल अधिकारी" वह अधिकारी होगा जिसे जीएम/जेडएम/सीपीएम रिपोर्ट कर रहे हैं।

5.3 तथापि, इस नीति (लागू भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर निदेशों/परिपत्रों के तहत रिपोर्टिंग और अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं सहित) के दायरे में रिपोर्टिंग और एमआईएस के लिए "नोडल अधिकारी" जीएम (आंतरिक लेखा परीक्षा) या जीएम (आंतरिक लेखा परीक्षा) की अनुपस्थिति में आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग से कोई अन्य अधिकारी, जैसा कि सीएमडी द्वारा नामित किया जाए।

6. **धोखाधड़ी करने वालो पर कार्रवाई**

यद्यपि धोखाधड़ी वाली गतिविधियों का दायरा काफी विस्तृत हो सकता है, तथापि निम्नलिखित में से कुछ ऐसे हैं जो धोखाधड़ी का कारण बन सकते हैं। नीचे दी गई सूची केवल उदाहरणात्मक है और संपूर्ण नहीं हैः-

6.1 कंपनी के किसी भी दस्तावेज या खाते में जालसाजी।

6.2 ऋणदाता के पूर्वानुमोदन के बिना कंपनी के किसी भी दस्तावेज या खाते में कोई परिवर्तन।

6.3 चेक, बैंक ड्राफ्ट या किसी अन्य वित्तीय लिखत का जालसाजी आदि।

6.4 उधारदाता के पूर्वानुमोदन के बिना चेक, बैंक ड्राफ्ट या किसी अन्य वित्तीय लिखत आदि में कोई परिवर्तन।

6.5 निधियों, प्रतिभूतियों, आपूर्तियों या अन्य परिसंपत्तियों का कपटपूर्ण साधनों आदि से दुर्विनियोजन।

6.6 फर्ज़ी अभिलेख जैसे पे-रोल, फाइलों से दस्तावेजों को हटाना और/अथवा उनके स्थान पर जाली नोट आदि लाना।

6.7 नियुक्ति, प्लेसमेंट्स, रिपोर्ट प्रस्तुत करने, निविदा समिति की सिफारिशों आदि के मामलों में तथ्यों/धोखे को जानबूझकर दबाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप किसी एक को अनुचित लाभ/हानि होती है।

6.8 ऋणदाताओं को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से कंपनी की निधियों का उपयोग करना।

6.9 आपूर्ति नहीं की गई वस्तुओं या प्रदान नहीं की गई सेवाओं के लिए भुगतान को प्राधिकृत करना या प्राप्त करना।

6.10 तथ्यों के साथ हेराफेरी करने और गलत बयानी करने के उद्देश्य से नष्ट करना, निपटान, रिकॉर्ड या कंपनी की अन्य परिसंपत्तियों को हटाना ताकि संदेह/दबाव/धोखाधड़ी की जा सके, जिसके परिणामस्वरूप वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन/निर्णय नहीं लिया जाएगा।

6.11 मुद्रा या वित्तीय संव्यवहारों के संचालन या रिपोर्टिंग में अनुपयुक्तता।

6.12 कोई अन्य कार्य जो धोखाधड़ी की गतिविधि के दायरे में आता है।

7. <u>कार्मिक द्वारा अन्य अनुचित आचरण</u>

आरईसी सीडीए नियमों या व्यवहार संबंधी आचरण में परिभाषित कर्मचारी के मनोबल, नैतिक, आचरण और अनुशासन से संबंधित संदिग्ध अनियमितताओं का समाधान धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए बनाई गई नीति के तहत करने के बजाय विभागीय प्रबंधन और मानव संसाधन के कर्मचारी संबंध द्वारा किया जाना चाहिए।

यदि इस बारे में कोई अस्पष्टता है कि यह कार्रवाई धोखाधड़ी है या नहीं, तो नोडल अधिकारी इस प्रकार की अस्पष्टता को दूर करने के लिए मामले को कार्यात्मक निदेशक को भेज सकता है।

8. <u>उधार खातों के संबंध में धोखाधड़ी के ट्रिगर/संभावित धोखाधड़ी के संकेतक</u>

निम्नलिखित में से किसी या सभी घटनाओं को धोखाधड़ी के प्रारंभिक लक्षण के रूप में माना जा सकता हैः

8.1 एक ही परियोजना परिसंपत्ति के लिए विभिन्न स्रोतों से निधि प्राप्त करना।

8.2 परियोजनाओं की अवार्ड प्रक्रिया के संबंध में सीवीसी की जांच।

8.3 टीआरए का गलत ढंग से परिचालन या निधियों का दुर्विनियोजन/डायवर्जन।

8.4 उधारकर्ता परिसरों में आयकर/बिक्री कर/केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा छापे।

8.5 साइट निरीक्षण को स्थगित करने के लिए उधारकर्ता का बार-बार अनुरोध।

8.6 अनुरोध किए जाने पर सत्यापन के लिए मूल बिलों को प्रस्तुत न करना।

8.7 उधारकर्ता के उच्च मूल्य के चेकों के बाउंस होने की ख़बर/मामले।

8.8 उचित कर पंजीकरण विवरण के बिना इनवॉइस तैयार करना।

8.9 लेखापरीक्षा रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियां, जिससे धोखाधड़ी का कोई संदेह उत्पन्न होता है।

8.10 खोज रिपोर्ट में दिखने वाली देयताएं, जिसे उधारकर्ता ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सूचित नहीं किया है।

8.11 उधारदाताओं से संपार्श्विक प्रतिभूतियों के स्वत्वाधिकार से संबंधित विवाद को छिपाना।

8.12 मौजूदा प्रभार धारकों के अनुमोदन के बिना कई उधारदाताओं को समान संपार्श्विक प्रभारित किया गया।

8.13 देय होने पर ब्याज और/या मूलधन की इरादतन गैर-सर्विसिंग।

8.14 अन्य उधारदाताओं को भुगतान में इरादतन चूक।

8.15 उधारदाताओं, विशेष रूप से निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं के अनुमोदन के बिना उधारकर्ता द्वारा परियोजना के दायरे में बार-बार परिवर्तन किया जाना।

8.16 उधारदाताओं के अनुमोदन के बिना ईपीसी संविदाकारों या टर्न-की संविदाकारों को अचानक बदलना।

8.17 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा बार-बार त्यागपत्र देना/लेखांकन अवधि और/अथवा लेखांकन नीतियों/दावों की उच्च राशि, जिसे तुलन-पत्र में ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, में बार-बार परिवर्तन होना।

8.18 पर्याप्त मात्रा में पार्टी संबंधी लेनदेन आर्म्स लेंथ बेसिस पर नहीं हो रहे हैं।

8.19 मियादी ऋण उधारदाताओं को सूचित किए बिना बार-बार बैंक खाते बदलना।

राज्य क्षेत्र के उधारकर्ताओं के मामले में धोखाधड़ी के उपर्युक्त सभी ट्रिगर लागू नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक राज्य की अपनी सतर्कता व्यवस्था है। *राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं के मामले में क्षेत्रीय/राज्य कार्यालय उपरोक्त पर या पीएमजी के माध्यम से (परियोजना के भौतिक निष्पादन से संबंधित मामले के मामले में) समुचित सावधानी बरतेंगे और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए समय-समय पर संबंधित प्रभाग को सूचित करेंगे।*

पीएमसी/पीएमए/एलएफए/एलई उपर्युक्त पहलुओं पर समुचित सावधानी बरतेंगे और समय-समय पर संबंधित प्रभाग को सूचित करेंगे।

9. <u>धोखाधड़ी की रोकथाम</u>

9.1 प्रत्येक कर्मचारी (पूर्णकालिक, अंशकालिक, तदर्थ, अस्थायी, संविदा), विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, संविदाकारों, सलाहकारों, उधारदाताओं, सेवा प्रदात्ताओं या आरईसी लिमिटेड के साथ किसी भी प्रकार का कारोबार करने वाली किसी अन्य एजेंसी के प्रतिनिधि से अपेक्षा की जाती है और यह सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह होगा कि उनके उत्तरदायित्व/नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी अधिकतम जानकारी में कोई धोखाधड़ी नहीं की जा रही है। जैसे ही यह पता चलता है कि धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी हुई है या होने की संभावना है, उन्हें प्रक्रिया के अनुसार तुरंत इसकी सूचना देनी चाहिए।

9.2 नोडल अधिकारी धोखाधड़ी की रोकथाम और उसका पता लगाना सुनिश्चित करेंगे तथा कंपनी की धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति का कार्यान्वयन करेंगे। नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके नियंत्रण वाले क्षेत्र में निम्नलिखित के लिए व्यवस्था है:

9. 2.1 प्रत्येक कर्मचारी को उनके क्षेत्र में हो सकने वाली अनियमितताओं से परिचित कराना।

9.2.2 कर्मचारियों को धोखाधड़ी की रोकथाम और उसका पता लगाने के बारे में शिक्षित करना।

9.2.3 ऐसी संस्कृति का निर्माण करना जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को धोखाधड़ी के किसी भी प्रकार के संदेह अथवा संज्ञान में आए धोखाधड़ी के बारे में बिना किसी भय के सूचित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

9.2.4 सीडीए नियमों के माध्यम से कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले नैतिक सिद्धांतों के बारे में कर्मचारियों में जागरूकता

पैदा करना;

9.3 संगठन की संविदाओं, स्वीकृतियों, ऋण/सब्सिडी/अनुदान करारों की सामान्य शर्तों में समुचित संशोधन किया जाएगा, जिसमें सभी बोली लगाने वालों/सेवा प्रदत्ताओं/विक्रेताओं/उधारदाताओं/उधारकर्ताओं/परामर्शदाताओं आदि को यह प्रमाणित करना होगा कि वे आरईसी लिमिटेड में धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति का पालन करेंगे और धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल होने के लिए अपने संगठन में काम करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को अनुमति नहीं देंगे या धोखाधड़ी/संदिग्ध धोखाधड़ी से अवगत कराएंगे और ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में निगम उन्हें चालू/भावी लेनदेन के लिए प्रतिबंधित कर सकता है। ये शर्तें बोली/ऋण/सब्सिडी/अनुदान आवेदन और अनुबंध/ऋण/सब्सिडी/अनुदान के निष्पादन के समझौते दोनों को प्रस्तुत करने के समय दस्तावेजों का हिस्सा होंगी।

9.4 आरईसी वेबसाइट में प्रकाशित किए जाने वाले प्रतिबंधित संगठनों की सूची और उनके संबंधित प्राधिकारियों को रिपोर्ट की जाएगी।

9.5 उधारकर्ता/परियोजना की आवधिक समीक्षा परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) द्वारा अनुमोदित वार्षिक निगरानी योजना के अनुसार की जानी चाहिए और सुधारात्मक उपायों के साथ अपने निष्कर्षों को प्रबंधन को प्रस्तुत करना चाहिए। संबंधित परिचालन प्रभाग आरईसी द्वारा नियुक्त परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी), यदि कोई हो, के साथ लगातार विचार-विमर्श करेगा और किसी विचलन की सूचना देगा।

10. संदेह/धोखाधड़ी की सूचना देने पर उपचारात्मक कार्रवाई

10.1 मौखिक, प्रिंट या दृश्य मीडिया के माध्यम से प्राप्त धोखाधड़ी या धोखाधड़ी के संदेह की सूचना पर, संबंधित विभाग को कार्रवाई शुरू करने और पीएमसी, यदि कोई हो, को मामले की जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सलाह दी जाएगी। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संबंधित प्रभाग भी मामले की जांच करेगा। ऐसी जाँच के प्रयोजन के लिए किसी बाहरी पेशेवर एजेंसी या किसी अन्य पक्ष की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।

10.2 ऐसे मामले में सुधारात्मक कार्रवाई सहित स्थिति रिपोर्ट प्रबंधन को प्रस्तुत की जाएगी और उसे उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे मामले की रिपोर्टिंग में यदि धोखाधड़ी का पुष्ट मामला पाया जाता है तो संबंधित एजेंसियों/विनियामक प्राधिकारी को भी सूचित किया जाएगा।

11. कार्मिक द्वारा धोखाधड़ी के लिए रिपोर्ट की प्रक्रिया

11.1 किसी कर्मचारी को धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी का पता चलने पर इसकी सूचना नामित नोडल अधिकारी को देनी चाहिए। इन मामले को नोडल अधिकारी को लिखित में रिपोर्ट किया जाना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी या अन्य व्यक्ति इसे लिखित में रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो वह नोडल अधिकारी के समक्ष अपना विवरण दर्ज करवा सकता है। नोडल अधिकारी उस अधिकारी/कर्मचारी/अन्य व्यक्ति की पहचान संबंधी विवरण दर्ज करेगा जो इस प्रकार की धोखाधड़ी की सूचना देगा।

11.2 इसके अलावा, किसी भी संदिग्ध धोखाधड़ी के बारे में किसी विक्रेता, संविदाकार, उधारकर्ता, उधारदाता या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा सूचित किए जाने पर, जिसका धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी का पता चलने पर निगम के साथ कारोबारी संबंध है, उसे इस संबंध में आगे की जांच के लिए नामित नोडल अधिकारी को भेजा जाएगा।

11.3 नोडल अधिकारी रिपोर्टिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान के बारे में गोपनीयता बनाए रखेगा और किसी भी परिस्थिति में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के साथ इस पर चर्चा नहीं करेगा। निगम धोखाधड़ी या संदिग्ध

धोखाधड़ी से संबंधित जानकारी प्रदान करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की जवाबी कार्रवाई

को बर्दाश्त नहीं करेगा। निगम धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी से संबंधित जानकारी प्रदान करने वाले शिकायतकर्ता/व्यक्ति को उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेगा।

11.4. नोडल अधिकारी इस तरह की रिपोर्टिंग पर शीघ्रता से कार्य करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी संबंधित अभिलेखों और दस्तावेज और अन्य साक्ष्य हिरासत में ले लिए गए हैं या संदिग्ध व्यक्तियों/अधिकारियों द्वारा छेड़छाड़, नष्ट या हटाए जाने से सुरक्षित हैं।

11.5. रिपोर्ट प्राप्त होने पर नोडल अधिकारी द्वारा रिपोर्टिंग करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना प्रदान की जाएगी:-

11.5.1 तथ्यों का पता लगाने या बहाली की मांग करने के प्रयास में संदिग्ध व्यक्ति से संपर्क न करें।

11.5.2 गोपनीयता का सख्ती से पालन करें। जब तक कि नोडल अधिकारी द्वारा विशेष रूप से न कहा गया हो, किसी के साथ मामले, तथ्यों, संदेह या अभिकथनों पर चर्चा न करें।

12. **<u>कार्मिक द्वारा धोखाधड़ी/संदिग्ध धोखाधड़ी की जांच</u>**

12.1 नोडल अधिकारी प्रारंभिक जांच करेगा। कर्मचारी या कोई व्यक्ति जो आरईसी लिमिटेड के साथ किसी प्रकार का कारोबार कर रहा हो जैसे वेंडर, आपूर्तिकर्ता, संविदाकार आदि जो संदिग्ध बेईमानी या धोखाधड़ी की गतिविधि के बारे में रिपोर्ट करते हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से जांच या किसी संदिग्ध धोखाधड़ी के कार्य से संबंधित साक्षात्कार/पूछताछ करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित के बारे में सूचित किया जाना चाहिए:

12.1.1. तथ्यों का पता लगाने या बहाली की मांग करने के प्रयास में संदिग्ध व्यक्ति से संपर्क न करें।

12.1.2. जब तक कि नोडल अधिकारी द्वारा विशेष रूप से न कहा गया हो, किसी के साथ मामलों, तथ्यों, संदेह या अभिकथनों पर चर्चा न करें।

12.1.3 नोडल अधिकारी प्राप्त सभी सूचनाओं को गोपनीय रखेगा तथा संदिग्ध अनियमितताओं की जांच करते समय अत्यधिक सावधानी बरतेगा।

12.1.4 जांच की स्थिति के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। किसी भी पूछताछ के लिए उचित उत्तर है: "मैं इस मामले पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र नहीं हूं।" *किसी भी परिस्थिति में* "आरोप," "अपराध," "धोखाधड़ी," "जालसाजी," "दुरुपयोग," या किसी अन्य विशिष्ट संदर्भ का कोई संदर्भ नहीं दिया जाना चाहिए। जांच के परिणामों को उन लोगों के अलावा किसी अन्य के समक्ष *प्रकट या चर्चा नहीं की जाएगी* जिन्हें जानने की वैध आवश्यकता है। संदिग्ध व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को नुकसान से बचाने के लिए लेकिन बाद में गलत आचरण के निर्दोष पाए गए और कंपनी को संभावित नागरिक दायित्व से बचाने के लिए यह महत्वपूर्ण है।

12.1.5. यदि नोडल अधिकारी यह निर्धारित करता है कि रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं है या धोखाधड़ी की रिपोर्ट नहीं है, तो वह इस निर्धारण को दस्तावेज में दर्ज करेगा। नोडल अधिकारी के दस्तावेज़ीकरण में निर्धारण के लिए सहयोग किया जाएगा।

12.1.6. यदि नोडल अधिकारी की प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि धोखाधड़ी की गतिविधियां हुई हैं, तो नोडल अधिकारी सक्षम प्राधिकारी अर्थात अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से अनुमोदन प्राप्त करेगा और

धोखाधड़ी/संदिग्ध धोखाधड़ी के ब्यौरों को आगे की समुचित जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए आरईसी के सतर्कता विभाग को भेजेगा। यह जानकारी उनके अपने सतर्कता विभाग द्वारा उनके दैनिक कामकाज के हिस्से के रूप में जांच की जा रही धोखाधड़ी के मामलों की आसूचना, सूचना और जांच के अलावा होगी।

12.2 सतर्कता विभाग द्वारा जांच पूरी होने के बाद उचित कार्रवाई, जिसमें प्रशासनिक कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई, बोर्ड/लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करना, दीवानी या आपराधिक कार्रवाई या मामले को बंद करना शामिल हैं अगर यह सिद्ध हो जाता है कि धोखाधड़ी नहीं की गई है आदि जांच के परिणाम के आधार पर निर्भर होगी जिसमे सक्षम प्राधिकारी अर्थात अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से कार्रवाई की जाएगी।

12.3 सतर्कता विभाग "नोडल अधिकारी" को उनके द्वारा की गई जांच के परिणामों से अवगत कराएगा और इन दोनों के बीच निरंतर समन्वय बना रहेगा।

13. प्रारंभिक और अंतिम जांच के लिए समय सीमा

कर्मचारी द्वारा धोखाधड़ी/संदिग्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट की प्रारंभिक और अंतिम जांच पूरी करने की समय-सीमा निम्नानुसार हैः-

13.1 प्रारंभिक जांच

नोडल अधिकारी प्रारंभिक जांच पूरी करेगा और धोखाधड़ी/संदिग्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट की तारीख से 30 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट कार्यात्मक निदेशक को प्रस्तुत करेगा। यदि नोडल अधिकारी 30 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होता है तो उसे विलंब के कारणों को दर्ज करना होगा और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से 10 दिनों के अतिरिक्त समय मांग करनी होगी। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा 40 (चालीस) दिनों के बाद अतिरिक्त समय की अनुमति दी जा सकती है।

13.2 कार्यात्मक निदेशक का अनुमोदन

कार्यात्मक निदेशक, सतर्कता इकाई द्वारा अंतिम जांच के लिए सामान्यतः प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर अनुमोदन प्रदान करेंगे।

13.3 अंतिम जांच

सतर्कता इकाई अंतिम जांच पूरी करेगा और सतर्कता इकाई को प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से दो महीने के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जिसकी सीएमडी अनुमति दें, जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

14. कार्मिक द्वारा धोखाधड़ी के मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई

इस नीति का अनुपालन न करने पर निम्नलिखित मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी:-

14.1 कोई कर्मचारी जो किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी में शामिल हो।

14.2 कोई कर्मचारी जो धोखाधड़ी वाली गतिविधि का संदेह करता है या उसका पता लगाता है और इस नीति में अपेक्षित रिपोर्ट करने में विफल रहता है।

14.3 कोई कर्मचारी जो जानबूझकर गलत या भ्रामक जानकारी रिपोर्ट करता है, उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।

15. **<u>लेखापरीक्षा समिति/निदेशक मंडल को रिपोर्ट करना</u>**

15.1 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि 1.00 लाख रूपये और उससे अधिक की राशि वाली सभी धोखाधड़ी को नोडल अधिकारी की प्रारंभिक जांच में साबित होने के तुरंत बाद लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड को सूचित किया जाए और

15.2 25 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि की धोखाधड़ी के प्रयास किए गए सभी मामलों से संबंधित सूचना निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, जिसे बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है और नोडल अधिकारी इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मास्टर निदेशों/परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

15.3 ₹1 करोड़ और उससे अधिक की राशि वाली सभी धोखाधड़ियों की निगरानी की जानी चाहिए और निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। समिति की बैठकों की आवधिकता शामिल मामलों की संख्या के अनुसार तय की जा सकती है।

15.4 **<u>धोखाधड़ी की तिमाही समीक्षा</u>**

i. मार्च, जून और सितंबर को समाप्त तिमाहियों के लिए धोखाधड़ी से संबंधित जानकारी निदेशक मंडल के समक्ष संबंधित तिमाही के बाद के माह के दौरान प्रस्तुत की जाएगी।

ii. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक की राशि की धोखाधड़ी की निगरानी और समीक्षा की जाएगी।

iii. धोखाधड़ी की वार्षिक समीक्षा की जानी चाहिए और उसे निदेशक मंडल के समक्ष सूचना के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दिसंबर में समाप्त वर्ष की समीक्षा को बोर्ड को अगले वर्ष मार्च के अंत से पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

16. **<u>धोखाधड़ी की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को देना</u>**

1 लाख रुपये और उससे अधिक की राशि की धोखाधड़ी के सभी मामलों में धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति में उल्लिखित किसी भी धोखाधड़ी के माध्यम से की गई धोखाधड़ी को रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

16.1 **<u>धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग (एफएमआर-1)</u>**

जहां धोखाधड़ी में शामिल राशि 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक है, निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट धोखाधड़ी का पता लगाने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर धोखाधड़ी पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देशों में उल्लिखित पते पर और बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय जिसके अधिकार क्षेत्र में आरईसी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय आता है, को भी भेजी जाएगी।

जहां शामिल राशि 1 करोड़ रुपये से कम है, निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट धोखाधड़ी का पता लगाने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जाएगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में आरईसी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय आता है।

16.2 **बकाया धोखाधड़ियों की रिपोर्टिंग (एफएमआर-2)**

निर्धारित प्रारूप में बकाया धोखाधड़ी की तिमाही रिपोर्ट को बैंक तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर इससे संबंधित गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जाएगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में आरईसी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय आता है, भले ही राशि कितनी भी हो।

16.3 **धोखाधड़ी पर प्रगति रिपोर्ट (एफएमआर-3)**

निर्धारित प्रारूप में 1 लाख रुपये और उससे अधिक की धोखाधड़ी पर मामला-वार तिमाही प्रगति रिपोर्ट संबंधित तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर केवल बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जाएगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित एनबीएफसी का पंजीकृत कार्यालय आता है।

जहां 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक की राशि शामिल है, तो धोखाधड़ी पर मामला-वार तिमाही प्रगति रिपोर्ट को बैंक के बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के केंद्रीय कार्यालय, धोखाधड़ी निगरानी कक्ष, बेंगलुरु और बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को, जिसके अधिकार क्षेत्र में आरईसी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय आता है, संबंधित तिमाही के अंत के 15 दिनों के भीतर भेजा जाएगा।

17. **एनबीएफसी द्वारा धोखाधड़ी की निगरानी पर आरबीआई द्वारा जारी मास्टर निर्देशों का अनुपालन**

इस नीति के प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देश/परिपत्र के बीच किसी प्रकार की विसंगतियों की स्थिति में ऐसे प्रावधानों के संबंध में संबंधित मास्टर निर्देश/परिपत्र लागू होगा।

18. **नीति का प्रशासन**

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस नीति की व्याख्या और संशोधन के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। जब भी जरूरत होगी इस नीति की समीक्षा की जाएगी और उसमें संशोधन किया जाएगा।